बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
संकल्प

श्री आदित्य राजहंस, तत्कालीन सहायक श्रमायुक्त मुंगेर–सह–सहायक श्रमायुक्त (कृषि श्रमिक) भागलपुर सम्प्रति सहायक श्रमायुक्त, कटिहार के विरूद्ध प्रपत्र 'क' में गठित आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 16 (क) के अन्तर्गत विभागीय संकल्प संख्या–2914 दिनांक–07.10.2015 द्वारा विभागीय कार्यवाही संस्थित की गई है। उक्त नियमावली के नियम 17 (5) (ग) के अन्तर्गत श्री देवनंदन यादव, तत्कालीन अपर सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को इस विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु जाँच प्राधिकार एवं श्री अरूण कुमार नं0–1, तत्कालीन अवर सचिव, श्रम पक्ष, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया। श्री आदित्य राजहंस ने अपने अभ्यावेदन दिनांक–21.01.2016 द्वारा उनके विरूद्ध संस्थित उक्त विभागीय कार्यवाही को समाप्त करने अथवा उसके संचालन पदाधिकारी को बदलने का अनुरोध किया। संचालन पदाधिकारी श्री देवनंदन यादव, अपर सचिव, के द्वारा भी पीत पत्र के माध्यम से किसी अन्य पदाधिकारी को संचालन पदाधिकारी के रूप में नियुक्त करने का अनुरोध किया गया। अतएव श्री राजहंस से प्राप्त अभ्यावेदन दिनांक–21.01.2016 एवं श्री देवनंदन यादव, अपर सचिव–सह–संचालन पदाधिकारी से प्राप्त पीत पत्र दिनांक–22.02.2016 पर सम्यक विचारोपरांत विभागीय संकल्प सं0–1060, दिनांक–04.04.2016 द्वारा विभागीय संकल्प सं0–2914 दिनांक–07.01.2015 में आंशिक संशोधन करते हुए संचालन पदाधिकारी श्री देवनंदन यादव, अपर सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के स्थान पर श्री गोपाल मीणा, तत्कालीन निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

2. आरोपित पदाधिकारी श्री आदित्य राजहंस, तत्कालीन सहायक श्रमायुक्त, मुंगेर–सह–सहायक श्रमायुक्त (कृषि श्रमिक) भागलपुर–सम्प्रति सहायक श्रमायुक्त, कटिहार के विरूद्ध पहला आरोप है कि उनका मूल पदस्थापन मुंगेर जिला में है एवं उन्हें सहायक श्रमायुक्त, भागलपुर का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। परंतु वे अपना अधिकांश समय भागलपुर में ही देते हैं तथा मुंगेर कार्यालय में यदा–कदा की कार्य करते हैं। इसके फलस्वरूप भागलपुर प्रमंडल की तुलना में मुंगेर प्रमंडल में मात्र तीन प्रतिशत सेस की वसूली हुई है। श्री राजहंस के विरूद्ध दूसरा आरोप बाल श्रमिक अधिनियम तथा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अनुपालन के अन्तर्गत भागलपुर की तुलना में मुंगेर मे कम प्रगति रहने के संबंध में है। श्री आदित्य राजहंस के विरूद्ध उपर्युक्त आरोप श्री सत्यनारायण मिश्र–अध्यक्ष, भागलपुर जिला कौंसिल इंटक के परिवाद पत्र की जाँच के पश्चात गठित किया गया था।

3. श्री आदित्य राजहंस, तत्कालीन सहायक श्रमायुक्त मुंगेर–सह–सहायक श्रमायुक्त (कृषि श्रमिक) भागलपुर सम्प्रति सहायक श्रमायुक्त, कटिहार के विरूद्ध गठित दोनों आरोपों में से संचालन पदाधिकारी ने अपने जाँच प्रतिवेदन में प्रथम आरोप को प्रमाणित एवं द्वितीय आरोप को आंशिक रूप से प्रमाणित पाया है। संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 18(3) के तहत विभागीय पत्रांक–2107 दिनांक–19.07.2016 द्वारा आरोपित पदाधिकारी से द्वितीय कारण पृच्छा की माँग की गई।

4. श्री आदित्य राजहंस, तत्कालीन सहायक श्रमायुक्त, मुंगेर–सह–सहायक श्रमायुक्त (कृषि श्रमिक) भागलपुर सम्प्रति सहायक श्रमायुक्त, कटिहार ने अपने द्वितीय कारण पृच्छा के उत्तर में पहले आरोप के संबंध में यह उल्लेख किया है कि सहायक श्रमायुक्त को उपकर संग्राहक की शक्ति प्रदत्त नहीं है एवं सेस वसूली में उनकी भूमिका पर्यवेक्षकीय है। दूसरे आरोप के संबंध में उन्होंने यह कहा है कि वे सहायक (सामान्य) श्रमायुक्त, मुंगेर के प्रभार में ये परंतु सहायक श्रमायुक्त, भागलपुर के प्रभार में कमी नहीं उन्हें सहायक श्रमायुक्त (कृषि श्रमिक) भागलपुर का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था।

5. श्री आदित्य राजहंस, तत्कालीन सहायक श्रमायुक्त, मुंगेर–सह–सहायक श्रमायुक्त (कृषि श्रमिक) भागलपुर सम्प्रति सहायक श्रमायुक्त, कटिहार के द्वितीय कारण पृच्छा के उत्तर की अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा समीक्षा की गई। सहायक श्रमायुक्त के सेस वसूली के लिए प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं होने एवं मुंगेर प्रमंडल के विषयांकित मामले में किसी अन्य पदाधिकारी पर कम सेस वसूली के लिए कोई कार्रवाई नहीं किये जाने की स्थिति की प्रथम आरोप को प्रमाणित नहीं पाया गया। दूसरा आरोप ही अस्पष्ट है क्योंकि श्री आदित्य राजहंस इन दोनों प्रमंडलों में अलग–अलग पदों पर पदस्थापित थे जिनका दायित्व अलग–अलग था। इसलिए इस आरोप को भी प्रमाणित नहीं पाया गया। समीक्षोपरांत श्री आदित्य राजहंस के विरूद्ध दोनों आरोप प्रमाणित नहीं पाये जाने पर उनके द्वितीय कारणपृच्छा के उत्तर से सहमत होते हुए अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा आरोप मुक्त करने का निर्णय लिया गया है। अतः अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री आदित्य राजहंस, तत्कालीन सहायक श्रमायुक्त, मुंगेर–सह–सहायक श्रमायुक्त (कृषि श्रमिक) भागलपुर सम्प्रति सहायक श्रमायुक्त, कटिहार को उनके विरूद्ध गठित प्रपत्र 'क' के अरोपों से मुक्त किया जाता है।

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति श्री आदित्य राजहंस, तत्कालीन सहायक श्रमायुक्त मुंगेर–सह–सहायक श्रमायुक्त (कृषि श्रमिक) भागलपुर सम्प्रति सहायक श्रमायुक्त, कटिहार को निबंधित डाक से उपलब्ध करायी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश के
ह0/–
(अमरेन्द्र नारायण मिश्र)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक– 6/श्रम वि0आ0 (02)27/2013 पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– प्रभारी पदाधिकारी, ई0 गजट कोषांग वित्त विभाग, बिहार, पटना को दो हार्ड कॉपी के साथ बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि राजपत्र की 15 (प्रंदह) अतिरिक्त प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराएँ।

ह0/–
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक– 6/श्रम वि0आ0 (02) 27/2013 पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0कोषांग) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक– 6 / श्रम वि0आ0 (02) 27 / 2013 पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– श्री आदित्य राजहंस, तत्कालीन सहायक श्रमायुक्त, मुंगेर–सह–सहायक श्रमायुक्त (कृषि श्रमिक) भागलपुर सम्प्रति सहायक श्रमायुक्त, कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक– 6 / श्रम वि0आ0 (02) 27 / 2013 पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, मुंगेर / भागलपुर / कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक– 6 / श्रम वि0आ0 (02) 27 / 2013 2629 पटना, दिनांक–03/10/2017

प्रतिलिपिः– श्रमायुक्त, बिहार, पटना / विशेष सचिव / अपर सचिव / सभी उप सचिव / अवर सचिव / सभी विशेष कार्य पदाधिकारी / सभी प्रशाखा पदाधिकारी (सरकार पक्ष) / आई0टी0 मैनेजर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3/10/17
सरकार के उप सचिव